आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · School Education Department, Government of Madhya Pradesh

केंद प्रवर्तित सफाई एवं जोखिम पूर्ण कार्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10

यह छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 के उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके पिता या पालक सिर पर मैला ढोने, मरे जानवरों की खाल उतारने या कचरा बीनने जैसा अस्वच्छ या जोखिम भरा काम करते हैं।

क्या मिल सकता है

पृष्ठ की दर तालिका के अनुसार कक्षा 1 से 10 के बिना छात्रावास वाले विद्यार्थियों को साल में Rs 3,500 और कक्षा 3 से 10 के छात्रावासी विद्यार्थियों को साल में Rs 8,000 मिलते हैं। आय की कोई सीमा नहीं है।

किसके लिए है

अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थी, जिनके पिता या पालक अस्वच्छ या जोखिम भरे काम में लगे हैं।

मुख्य शर्तें

- पिता या पालक सिर पर मैला ढोने, मरे जानवर की खाल उतारने या पकाने, या कचरा बीनने और इकट्ठा करने जैसा अस्वच्छ काम करते हों। 1997 के बाद यह काम छोड़कर पुनर्वासित हुए परिवार भी पात्र हैं।
- परिवार के केवल दो बेटे या बेटियों को छात्रवृत्ति मिल सकती है।
- जिस विद्यार्थी को राज्य छात्रवृत्ति मिल रही है, उसे यह छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- आय की कोई सीमा नहीं है और आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।

दस्तावेज़

- तहसीलदार का अस्वच्छ धंधा प्रमाण पत्र
- पालक का काम के बारे में घोषणा पत्र

आवेदन कैसे करें

1. अपने दस्तावेज स्कूल में दें। शिक्षक विद्यार्थी की प्रोफाइल शिक्षा पोर्टल shikshaportal.mp.gov.in पर दर्ज करते हैं।
2. पात्रता के अनुसार आवेदन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आगे बढ़ता है।
3. पदभिहित अधिकारी संकुल प्राचार्य, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी हैं।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/Schmedetail.aspx?Schemeid=380
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-safai-jokhim-karya-chhatravritti-class-1-10/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।